फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

गोविन्दराम पिता देवीलाल ढोली निवासी रूद

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, राशमी

प्रकरण संख्या 60/2016 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.05.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट अनुपस्थित। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। रूक–रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी अपीलांट तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण लगभग 08 वर्ष पुराना होकर लगभग 06 वर्ष से बहस की स्टेज पर लम्बित चल रहा है अधिक्ता अपीलांट द्वारा बार–बार बहस हेतु अवसर लिये जा रहे हैं तथा आज बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित भी नहीं। पुनः रूक–रूककर आवाजें लगवाई गई फिर भी अपीलांट तथा उनके अधिवक्ता में से कोई भी उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली मय आदेश की प्रति के प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	